न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 13/2021

1 कर्णवीर पुत्र नानगराम जाति जाट निवासी कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 संतोष पुत्री हवासिंह पत्नी मीरसिंह।
2 गुड्डी उर्फ राजवन्ती पुत्री हवासिंह समस्त जाति जाट निवासीगण कुलोठ कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू हाल आबाद तहसील गढ़ बारड़ा तहसील व जिला महेन्द्रगढ़, हरियाणा।
3 प्रेमा पुत्री सूरजाराम पत्नी होशियार सिंह जाति जाट निवासी जितपुरा तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी हरियाणा।
4 धन्नकोर पुत्री सूरजाराम पत्नी दलिप सिंह।
5 रीसालो पुत्री सूरजाराम पत्नी जयसिंह समस्त जाति जाट निवासीगण हड़ौदी तहसील बाढ़ड़ा जिला चरखी दादरी हरियाणा।
6 मिश्रो पुत्री नानगराम पत्नी सतपाल।
7 सोनी पुत्री नानगराम पत्नी जगरूप।
8 सरीता पुत्री नानगराम पत्नी रामप्रसाद।
9 सरोज पुत्री नानगराम पत्नी रामावतार समस्त जाति जाट निवासीगण ख्यालियो की ढ़ाणी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
10 शिला पुत्री नानगराम पत्नी राकेश।
11 मन्जु पुत्री नानगराम पत्नी सुरेश समस्त जाति जाट निवासीगण जितपुरा तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी हरियाणा।

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

12 धन्नसिंह पुत्र सूरजाराम जाति जाट निवासी कुलाठ कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
13 सन्तरो पुत्री सूरजाराम पत्नी शिशराम जाति जाट निवासी जितपुरा तहसील बाढड़ा जिला चरखी दादरी हरियाणा।
14 राजस्थान राज्य संरकार जरिये तहसीलदार सुरजगढ़ तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ दिनांक 18.02.2021 उनवानी संतोष वगैरह बनाम प्रेमा वगैरह मुकदमा नम्बर 91/2017 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रविन्द्र लाम्बा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 30-1-23

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 91/2017 में पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुरजगढ़ के समक्ष भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 7.26 हैक्टेयर मौजा ग्राम कुलोठ कलां में गलत रूप से 1/3 हक व हिस्सा बताकर उक्त भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा व रिसिवर नियुक्त करने बाबत आवेदन पत्र दिनां 09.06.2017 को पेश किया गया। प्रकरण दर्ज कर विपक्षीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये तथा उसके बाद आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.06.2017 नियत की गई जिसमें न्यायालय की आदेशिका में अन्य कार्य पर होने की सिल लगाई गई है तथा प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.08.2017 नियत की गई है। दिनांक 01.08.2017 का अवलोकन करने पर केवल मात्र रजिस्ट्री की प्राप्ती रसीदे प्राप्त हुई आवाज लगाई गई कोई उपस्थिति नही आने तथा विपक्षीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित कर दिया गया जबकि उक्त रजिस्ट्री की प्राप्ती रसीदे कब की है तथा उन रजिस्ट्रीयो को कब व किसने प्राप्त की है क्या उन प्राप्ती रसीदो के अनुसार विपक्षीगण की प्राप्त तामिल हुई है या नही कोई उल्लेख नही किया है तथा रजिस्ट्री से तामील करवाने का कोई आदेश भी न्यायालय का नही है फिर भी सभी विपक्षीगणो के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। इसके बाद न्यायालय की आदेशिकाओं का उल्लेख किया जावे तो लगातार सील मोहर लगाकर आगामी तारीख पेशी दी गई है। इसके बाद विपक्षीगण को बिना सुने, बिना प्रयास तामील हुये ही, बिना विपक्षीगण को कोई जवाब देही का अवसर दिये ही दिनांक 18.02.2021 को उक्त प्रकरण में वगैर अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 14 को सुने ही विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

[signature]

अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 3 लगायत 14 की रजिस्ट्री की प्राप्ती रसीद के आधार पर तामील मानी है जबकि अपीलांट को कभी भी कोई रजिस्ट्री प्राप्त नही हुई तथा न ही उसके किसी प्राप्ती रसीद पर कोई हस्ताक्षर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी मामले का दोनो पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मामले को मैरिट पर फैसला किया जाना चाहिए जिससे पक्षकारान को समुचित न्याय मिल सकें। रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 ने विचारण न्यायालय के समक्ष रिसिवर नियुक्त करवाने के लिये एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 145,146 जा. फो. का उनवानी सरकार बनाम कर्णवीर वगैरह मुकदमा नम्बर 30/2017 पेश किया था जिसमें विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.06.2017 को आदेश पारित करते हुये थानाधिकारी पुलिस थाना सूरजगढ़ को रिसीवर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया था कि वे तुरन्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 321 रकबा 7.26 हैक्टेयर ग्राम कुलोठ कलां को कब्जे राज लेवे तथा उचित देखभाल करे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलांट ने अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश चिड़ावा के समक्ष निगरानी पेश की गई जिसमें अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश चिड़ावा ने अपने आदेश दिनांक 19.01.2018 में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करके उक्त प्रकरण को 2 माह में पुनः दोनों पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने के साथ रिमाण्ड किया था। विवादित भूमि के बाबत अन्य कई प्रकरण विचारण न्यायालय व राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है जिनमें विभिन्न न्यायालयो के स्थगन आदेश/रिकार्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये हुये है यथास्थिति के आदेश पारित होने के उपरान्त उक्त स्थगन की पालना नही की गई हो तथा अवहेलना की गई हो ऐसा भी पत्रावली पर कोई दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य नही है फिर भी अपीलांट की शांति पूर्वक कब्जे शुद्वा भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र सन् 2017 से विचाराधीन था इतने लम्बे समय के दौरान वहा पर किसी प्रकार की

उपखण्ड अधिकारी एवं
एदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कोई अप्रिय घटना घटित नही हुई तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.02.2021 में भी मौके पर कोई इमरजेन्सी हो ऐसा एक शब्द भी आदेश में नही है तथा न ही पत्रावली पर कोई ऐसी दस्तावेज साक्ष्य है जिससे कोई इमरजेन्सी साबित हो जब तक कोई इमरजेन्सी ना हो किसी भी शांतिपूर्वक रूप से काबिज व्यक्ति को उसकी भूमि रिहायशी मकान से बेदखल नही किया जा सकता है। अपीलांट उक्त विवादित भूमि में ही अपने मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है तथा गाय भैंस भी रखता है जिनको भी इसी भूमि में रखता है तथा उसने अपने कब्जे काश्त की भूमि में फसल भी काश्त कर रखी है इस प्रकार अगर उक्त भूमि को कुर्क कर कब्जा राज में ले लिया जाता है तो अपीलांट बेघर हो जायेगा तथा बर्बाद हो जायेगा जिसकी भरपाई किया जाना कतई सम्भव नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है। दौराने बहस अपीलांट ने आदेश 41 नियम 27 के आवेदन के साथ न्यायालय की आदेशिका की सत्य प्रति प्रस्तुत कर दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया है। अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में सी.आर.एल.आर. 2012(2) पेज 812, सी.आर.एल.आर. 2012(1) पेज 464, सी.आर.एल.आर. 2012(1) पेज 544 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि पक्षकारो के मध्य रिकार्ड का विवाद नही है। हवासिंह के पुत्र संतान नही है। दो पुत्रियां एक दत्तक पुत्र है। विवादित भूमि पर अपीलांट कर्मवीर आवेदकगण को काश्त नही करने देता है। अपीलांट आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है। प्रस्तुत प्रकरण में काफी प्रकरण आपराधिक, 145,रेवन्यू में लम्बित रहे है। वाद के निर्णय तक विवादित भूमि वेस्ट डेमेज नही हो इसे दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त कर कोई विधिक त्रुटि नही की है। अपीलांट की विचारण न्यायालय में सम्यक तामील हुई है। विधि अनुसार अपीलांट तामील के बिन्दु को अपील के स्तर पर नही उठा सकता है। इस हेतु अपीलांट को विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 के अन्तर्गत एक पक्षीय कार्यवाही मंसुख करवाने की कार्यवाही करनी चाहिए। विचारण न्यायालय का निर्णय गुणावगुण पर विधि सम्मत है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है पक्षकारों के मध्य लम्बित वाद का निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। पक्षकारों के मध्य प्रकरण संख्या 198/2017,177/2017,277/2014 विचारण न्यायालय में लम्बित होना एवं विवादित भूमि पर स्थगन होना अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के आवेदन के साथ संलग्न आदेशिकाओं से होता है। पक्षकारों के मध्य आपराधिक मुकदमे दर्ज होने, धारा 145 दण्ड प्रक्रिया सहिंता की कार्यवाही होने का तथ्य उभयपक्ष स्वीकार करते है एवं इसकी पुष्टि पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज से भी होती है। विचारणीय तथ्य यह है कि विवादित भूमि के कब्जे काश्त को लेकर विभिन्न प्रकरणों में स्थगन के उपरान्त भी पक्षकारों के मध्य विवाद होते जा रहे है। पक्षकारों में कब्जे को लेकर दावे के निर्णय तक वाद बाहुल्यता नही होने एवं विवादित भूमि वेस्ट डेमेज नही होने के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नही की गई है। अत विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नही समझते है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30-1-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

30.1.23

वकील अपीलांट द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत कर अपील हेतु समय दिये जाने का निवेदन किया एवं अपील अवधी न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय की दिनांक से 15 दिवस तक इस निर्णय की पालना स्थगित की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)